

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

गणपत सिंह
संख्या : 426/2016

अप्रार्थी-शेर सिंह व अन्य
निर्णय दिनांक : 22.05.2018

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम अंतर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
------------------------------	----------------------	----------------

:—निर्णय:—

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील प्रार्थी उप0। वकील अप्रार्थी उप0।


वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल खसरा नंबर 21 ग्राम मदनपुर, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसका तकासमा होने के बाद खसरा नंबर 21/1 एवं 21/2 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये। खसरा नंबर 21/2 के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 एवं खसरा नंबर 21/1 के अप्रार्थी संख्या 10 व 11 खातेदार काश्तकार है। राजस्व नक्शा लट्टा में उक्त बट्टा नंबर दर्ज नहीं किये जाकर मूल नंबर ही दर्ज है जिससे आये दिन खातेदारान में लड़ाई झगडा होता है। न्यायहित में खसरा नंबर 21/1, 21/2 की राजस्व नक्शा लट्टा में मुताबिक भौतिक कब्जे अनुसार स्थाई तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति नक्शा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 21/2 के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 09 एवं 21/1 के अप्रार्थी संख्या 10 व 11 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है उक्त खसरा नंबरान की नक्शे में तरमीम नहीं है। कैम्प के मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार फागी को आदेश दिया जाता है कि खसरा नंबर 21/1 एवं 21/2 ग्राम मदनपुर, तहसील फागी, जिला जयपुर के पूर्व में किये गये सहमति तकासमा अनुसार अथवा मौके कब्जे पर समस्त खातेदारान की सहमतनुसार नक्शे में तरमीम की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट परवण में सुनाया गया।


(उपखण्ड न्यायाधीश)
न्यायालय
फागी